तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-2-20	वकील उभयपक्ष उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वाद पोषणीय नहीं पाये जाने से खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधि
ठासीन अधिकारी :– कपिल
जस्व वाद संख्या :– 201/2
1 हरनेक सिंह पुत्र मेहर
धान मण्डी, नजदीक
हनुमानगढ़।
1 गुरजण्ट सिंह पुत्र
जिला हनुमानगढ़ (रा
2 तहसीलदार (राजस्व),
दावा अन्तर्गत धारा
1. श्री राजीव कुलक्षेष्ठ
2. राज पैरोकार
वादी द्वारा प्रतिवादी
.ए. के तहत इस न्यायाल
हर सिंह के नाम से चक
त्थर नम्बर 150/250 के
घा 5 बिस्वा कृषि भूमि
दर्ज हो गया, प्रमाणित
वाद–पत्र की दफ
यनामा बच्चूमल सिंधी
2.06.1971 को दर्ज हो
स्सा अर्थात 2 बीघा 5
मि पर लगातार व निवा
द यह कृषि भूमि वादी
ातेदार द्वारा नही किय
हा था।
पूर्व में यह खात
स्सा की कृषि भूमि
क्रय की थी। वादी द्वा
गश्त करने में होने व
ंह को हिस्सा ठेका
का राशि वादी को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.03.05 15:48:19 IST
Reason: SelfAttested